न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 110/2022
GCMS NO. : 2022/243

–: वादीया :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1.रविना गोयल पत्नी चेतन जोया जाति–मेघवाल, निवासी–जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।		1. अशोक पुत्र नरसिंह 2. इन्द्रा पुत्री मिश्रूराम 3. गीतादेवी पुत्री नरसिंह 4. बजरंगलाल पुत्र मिश्रुराम 5. मुकेश पुत्र नरसिंह जातियान– रेगर, निवासीगण– रास, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राज0। 6. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण जिला ब्यावर (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 18/07/2022

उपस्थितः–

1. श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादिया।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 04/01/2024**

वकील मय वादिया ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास में वादिया व प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 909 रकबा 0.1619 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 909/2 रकबा 0.2104 हैक्टरयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 909/1 रकबा 0.1619 हैक्टरयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 909/3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उक्त भूमि की जमाबन्दी की नकल व ट्रेस नक्शा की नकल दावा के साथ पेश की जा रही है। सम्पूर्ण भूमि में वादिया का 1/2 वां हिस्सा आता हैं। जिस पर वादिया काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त कार्य करती आ रही है। मुतनाजा जमीन के राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से मुताबिक वादिया व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से काश्त करते आ रहे हैं एवं वादिया के हिस्से की ... तरमीम नहीं होने से आपस में विवाद रहता हैं। उक्त जमीन रास से पालीया ... जाने वाली सड़क के उत्तर की तरफ आई हुई है जिसमें वादिया का हिस्सा ... रास की तरफ ... नम्बर– 3574, 908 के पास है एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का हिस्सा खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

910 की तरफ पालीयावास की तरफ है। फिर भी प्रतिवादी हर बात को लेकर विवाद करते हैं। इसलिए मुतनाजा जमीन का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से किया जाना जरूरी है। वादिया अपने हिस्से की जमीन का बंटवाड़ा कराये बिना बैंक से ऋण नहीं ले सकती और न अपने हिस्से की जमीन का सुधार करवा सकती है। इसलिए बंटवाड़ा करके वादिया के हिस्से की जमीन को तरमीम किया जाकर खाता अलग किया जावे और लगान भी अलग किया जावे ताकि मौके पर आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सके। इसलिए दावा बंटवाड़ा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश हैं। वादिया ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त खातेदारी जमीन का बंटवाडा करने के लिए कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण यह कहते रहे कि बटवाडा करवा लेंगे लेकिन आज तक बटवाड़ा नहीं कराने से यह वाद पेश किया जा रहा है। मौके पर हर रोज माठ को लेकर आपस में विवाद होता रहता है। यदि मौके पर कब्जा अनुसार बंटवाड़ा नहीं किया गया तो पक्षकारान आपस में झगड़ा करेंगे जिससे वादीया के अपने हिस्से की जमीन का सुधार भी नहीं करवा सकेगे तथा वादिया को नुक्सान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेंगे। प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर होने से व दावा बंटवाड़ा का होने से पक्षकार बनाया गया है। इससे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादिया का बिनाया दावा दिनांक 22.06.2022 को प्रतिवादीगण ने मुतनाजा जमीन का बंटवाड़ा कराने से साफ इन्कार करनें पर बमुकाम रास में पैदा हुआ जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार में है व वाद अन्दर म्याद पेश है।

वादिया का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादिया का साक्ष्य शपथ–पत्र PW-1 पेश किया एवं दस्तावेजात प्रदर्श करवाये जो शामिल मिसल है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी सरहद मौजा रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास में खसरा नम्बर 909 रकबा 0.1619 हैक्टयर, खसरा नम्बर 909/2 रकबा 0. 2104 हैक्टरयर, खसरा नम्बर 909/1 रकबा 0.1619 हैक्टरयर, खसरा नम्बर 909/3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर सभी किस्म बारानी दोयम सम्वत् 2077–2080 का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास में खसरा नम्बर 909 रकबा 0. 1619 हैक्टयर, खसरा नम्बर 909/2 रकबा 0.2104 हैक्टरयर, खसरा नम्बर 909/1 रकबा 0.1619 हैक्टरयर, खसरा नम्बर 909/3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर सभी किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसका वादिया के हक–हिस्सों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/1142 दिनांक 05.12.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/23/1649 दिनांक 22.03.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

अंतिम बहस वकील वादिया की सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादिया ने वादग्रस्त आराजी का माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा बंटवाडा करने हेतु सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादिया एवं पालना रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। भू-अभिलेख के खसरा नम्बर 909 रकबा 0.1619 हैक्टयर, खसरा नम्बर 909/2 रकबा 0.2104 हैक्टरयर, खसरा नम्बर 909/1 रकबा 0.1619 हैक्टरयर, खसरा नम्बर 909/3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर सभी किस्म बारानी दोयम का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादिया का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास में खसरा नम्बर 909 रकबा 0.1619 हैक्टयर, खसरा नम्बर 909/2 रकबा 0.2104 हैक्टरयर, खसरा नम्बर 909/1 रकबा 0.1619 हैक्टरयर, खसरा नम्बर 909/3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर सभी किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	रविना गोयल पत्नी चेतन जोया जाति मेघवाल सा0 जैतारण खातेदार	909/1	0.1841	बा.दो.	0.28
		909/3	0.1842	बा.दो.	0.30
2.	गीतादेवी पुत्री नरसिंह 1/6 अशोक पुत्र नरसिंह 1/6 मुकेश पुत्र नरसिंह 1/6 बजरंगलाल पुत्र मिश्रुराम 1/4 इन्द्रा पुत्री मिश्रुराम 1/4 कौम रेगर सा0 देह खातेदार	909	0.1841	बा.दो.	0.28
		909/2	0.1841	बा.दो.	0.28

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादिया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (

निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 04/01/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
मुकाम :- जैतारण जिला ब्यावर
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादिया	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. रविना गोयल पत्नी चेतन जोया जाति-मेघवाल, निवासी-जैतारण, तहसील-जैतारण, जिला-ब्यावर।		1. अशोक पुत्र नरसिंह 2. इन्द्रा पुत्री मिश्रूराम 3. गीतादेवी पुत्री नरसिंह 4. बजरंगलाल पुत्र मिश्रुराम 5. मुकेश पुत्र नरसिंह जातियान- रेगर, निवासीगण- रास, तहसील- जैतारण, जिला- ब्यावर राज0। 6. तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण जिला ब्यावर (राज)।

मु0न0 :रा0वा0स0: 134/2022

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-. .... व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता वादिया मिनजानिब मुद्धई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा रास प्रथम, पटवार हल्का रास प्रथम, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास में खसरा नम्बर 909 रकबा 0.1619 हैक्टयर, खसरा नम्बर 909/2 रकबा 0.2104 हैक्टरयर, खसरा नम्बर 909/1 रकबा 0.1619 हैक्टरयर, खसरा नम्बर 909/3 रकबा 0.2023 हैक्टेयर सभी किस्म बारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	रविना गोयल पत्नी चेतन जोया जाति मेघवाल सा0 जैतारण खातेदार	909/1	0.1841	बा.दो.	0.28
		909/3	0.1842	बा.दो.	0.30
2.	गीतादेवी पुत्री नरसिंह 1/6 अशोक पुत्र नरसिंह 1/6 मुकेश पुत्र नरसिंह 1/6 बजरंगलाल पुत्र मिश्रुराम 1/4 इन्द्रा पुत्री मिश्रुराम 1/4 कौम रेगर सा0 देह खातेदार	909	0.1841	बा.दो.	0.28
		909/2	0.1841	बा.दो.	0.28

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा [illegible] का एक भाग माना जावें। वादिया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने [illegible] प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा/भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 04/01/2023 को जारी किया गया।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण
जिला–ब्यावर(राज0)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	5.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	8.00	मिजानः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.03.06 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested